CIN: U74999RJ2004SGC019961
RUIDP Office of RUDSICO, External Aided Project (RUIDP)
Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Ltd
Address: AVS Building, Jawahar Circle, JLN Marg, Jaipur - 302017
Ph. – 141 2721966 Fax No. 141 2721919,
E-mail:- mail.ruidp@rajasthan.gov.in Website: -https://urban.rajasthan.gov.in/ruidp

क्रमांकः - 5247 दिनाकः 14/08/2023

कार्यालय आदेश – अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय में

पिछले कुछ माहों में विभाग के अलग–अलग परियोजनाओं के अन्तर्गत हो रही दुर्घटनाओं को देखने से यह प्रतीत होता है कि कार्यस्थल की सुरक्षा अतिसुदृढ़ बनाने की विशेष आवश्यकता है। सभी चरणों के पीआईयू प्रमुख एवं उनके अधिनस्थ अभियंता, सलाहकारी फर्मो के अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि कार्य स्थल पर हो रही दुर्घटनाओं को सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा विधियों का उपयोग, सुरक्षा के निर्धारित मानदण्डों की पालना एवं समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा जारी कार्यस्थल सुरक्षा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे। साथ ही प्रत्येक परियोजना स्थल पर निरन्तर सुरक्षा संबंधी जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर अग्रिम 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यशाला की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी चित्र एवं चलचित्रों को संकलित कर प्रस्तुत करें।

पीआईयू, सलाहकारी फर्मो के टीम लीडर, कैप टीम लीडर, पीएमयू के परियोजना अधिकारीगण उनको आवंटित प्रत्येक शहरों के सभी कार्यस्थलों की संपूर्ण सुरक्षा की कार्यशाला एवं प्रशिक्षण में भागीदारी एवं जिम्मेदारी का परिचय देते हुए संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त सभी पूर्व में जारी सुरक्षा निर्देशों की अनुपालना में लापरवाही होने से हुई दुर्घटनाओं से विभाग अत्यंत चिंतित है। अतः सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके कार्य स्थल पर सुरक्षा कारणों की चूक से किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख एवं उनके अधिनस्थ अभियंताओं एवं सलाहकारी फर्मों की सुनिश्चित की जाएगी एवं उनके विरूद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उसका अंकन संबंधित अधिकारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन में किया जाएगा। साथ ही सलाहकारी फर्म के कार्मिकों की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित फर्म/विशेषज्ञ/अभियंता के विरूद्ध डीबार करने की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंषा की जाएगी।

अतः सूचित रहे।

(डॉ. हेमंत कुमार शर्मा)
अतिरिक्त परियोजना निदेशक

क्रमांकः - 5248-55 दिनाकः 14/08/2023

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को सूचनार्थ।
2. परियोजना निदेशक/अतिरिक्त परियोजना निदेशक/मुख्य अभियंता, आरयूआईडीपी, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मॉनिटरिंग/जोन जयपुर/जोधपुर), समस्त अधीक्षण अभियंता, उप परियोजना निदेशक (प्रशा./तकनीकी), आरयूआईडीपी, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (विजिलेंस), पीएमयू, जयपुर एवं कॉन्ट्रेक्ट मैनेजमेंट स्पेशियलिस्ट, पीएमसीबीसी, जयपुर को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
5. समस्त अधीक्षण अभियंता, आरयूआईडीपी, तृतीय एवं चतुर्थ चरण।
6. समस्त अधिशाषी अभियंता, आरयूआईडीपी, तृतीय एवं चतुर्थ चरण।
7. टीम लीडर, पीएमसीबीसी/सीएमएससी–1/सीएमएससी–2, कैप, आरयूआईडीपी को पालनार्थ।
8. आरक्षी पत्रावली।

उप परियोजना निदेशक (तकनीकी)